न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 205/2024

उनवान : –

1. उपासना पंघाल पुत्री दर्शना वैनीवाल पत्नि अशोक कुमार जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर।
2. भाग्यश्री पुत्री दर्शना वैनीवाल पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर।
3. खूशबू रानी पुत्री दर्शना वैनीवाल पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर।

वादीगण

बनाम

1. पूजा कुमारी पत्नी मुकुल जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर हाल पदस्थापित रेलवे विभाग रेलवे स्टेशन चुरू।
2. एक्सीस बैंक जरिये शाखा प्रवंधक शाखा एक्सीस बैंक बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग वादी
श्री रामचन्द्र वैनीवाल प्रतिवादी

दिनांक: 24/1/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 188/242 की कुल 2.5300है0 में मुकुल उर्फ मुकुल वैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम 3/5 हिस्सा एवं चक 2 केआरपी के खाता सं0 98/110 की कुल 0.506है0 मुकुल उर्फ मुकुल वैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीयागण व प्रतिवादीया सं0 1 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीयागण की पैतृक सम्पति है। उपरोक्त वर्णित वाद भूमि वादीयागण के भाई मृतक मुकुल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीयागण के भाई मुकुल का देहान्त दिनांक 08.01.2022 को हो चूका है। अतः उसके नाम दर्ज वाद भूमि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसुची के अनुसार उसके प्रथम श्रैणी के वारिसान मुकुल की पत्नी पूजा कुमारी एवं मुकुल की माता दर्शना बैनीवाल बहिस्सा बराबर के हो गये है। वादीयागण की माता का देहान्त होने व प्रतिवादी सं0 1 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीयागण के पक्ष में त्याग करने से मुकुल के प्रथम श्रैणी वारिसान उसकी बहन वादीयागण [illegible] कारण अपना हक हिस्सा के लिए वादीयागण ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने ईकबाल दावा पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्यवादी में वादीया उपासना पंघाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदीया चक 1 बीएचपी व चक 2 केआरपी प्रदर्श 1 व 2, मृत्यु प्रमाण

पत्र मुकुल प्रदर्श 3ए मृत्यु प्रमाण पत्र अशोक कुमार प्रदर्श 4ए मृत्यु प्रमाण पत्र माता दर्शना बैनीवाल प्रदर्श 5 ए एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 188/242 की कुल 2.5300है0 में मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम 3/5 हिस्सा एवं चक 2 केआरपी के खाता सं0 98/110 की कुल 0.506है0 मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि वादीयागण की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादीया सं0 1 के पति मुकुल की दिनांक 08.01.2022 को मृत्यु हो गई है। मुकुल के प्रथम श्रेणी वारिसान मुकुल की पत्नी प्रतिवादीया सं0 1 पूजा कुमारी जिसने ईकबाल दावा पेश कर उक्त वाद भूमि में अन्यत्र विवाह के कारण अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। एवं मुकुल की माता का देहान्त हो चूका है जो प्रदर्श 5ए से साबित है। उक्त वाद भूमि में प्रथम श्रेणी वारिसान मुकुल की बहने वादीया सं0 1 ता 3 है। अतः वादीयागण सं0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार है। इसलिए मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वाद भूमि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 188/242 की कुल 2.5300है0 में मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम 3/5 हिस्सा एवं चक 2 केआरपी के खाता सं0 98/110 की कुल 0.506है0 मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि वादीयागण की पैतृक सम्पति है। प्रतिवादीया सं0 1 के पति मुकुल की दिनांक 08.01.2022 को मृत्यु हो गई है। मुकुल के प्रथम श्रेणी वारिसान मुकुल की पत्नी प्रतिवादीया सं0 1 पूजा कुमारी जिसने ईकबाल दावा पेश कर उक्त वाद भूमि में अन्यत्र विवाह के कारण अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। एवं मुकुल की माता का देहान्त हो चूका है जो प्रदर्श 5ए से साबित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 188/242 की कुल 2.5300है0 में मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम 3/5 हिस्सा एवं चक 2 केआरपी के खाता सं0 98/110 की कुल 0.506है0 मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीया सं0 1 उपासना पंघाल वादीया सं0 2 भाग्यश्री वादीया सं0 3 खूशबू रानी को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादीयागण के पक्ष में त्याग किया है उ... किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा ... रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड ... जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री ...री हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

वि0स0 — 206/2024

उनवान : —

1. उपासना पंघाल पुत्री दर्शना बैनीवाल पत्नि अशोक कुमार जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर।
2. भाग्यश्री पुत्री दर्शना बैनीवाल पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर।
3. खुशबू रानी पुत्री दर्शना बैनीवाल पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर।

वादीगण

बनाम

1. पूर्णा कुमारी पत्नी मुकुल जाति जाट निवासी पटेल नगर बीकानेर हाल पदस्थापित रेलवे विभाग रेलवे स्टेशन चूरू।
2. एक्सीस बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा एक्सीस बैंक बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद पुनः कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 188/242 की कुल 2.5300है0 में मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम 3/5 हिस्सा एवं चक 2 केआरपी के खाता सं0 98/110 की कुल 0.506है0 मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में मुकुल उर्फ मुकुल बैनीवाल पुत्र अशोक कुमार का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीया सं0 1 उपासना पंघाल वादीया सं0 2 भाग्यश्री वादीया सं0 3 खुशबू रानी को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादीयागण के पक्ष में त्याग किया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पत्री डिक्री आज दिनांक 24/1/......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़